भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(Regional Office for M. P., Maharastra, Karnataka, Kerala, Goa, Dadra & Nagar Haveli and Lakshadweep)
कमरा सं. 309,निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52 –ए, अरेरा हिल्स, भोपाल– 462011
Room No.309, Nirman Sadan C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Bhopal,462011

ई–मेल/ e-mail: ncstmp@mp.nic.in
टेलीफैक्स/ Telefax 0755 2576530
0755 2578272

क्रमांकः एन.पी.सी./3101/रायसेन/म.प्र./9/08–जी.आर. दिनांकः 13–08–2008

सेवा में,

मा. सदस्य श्री छैरिंग सैमफेल के
निजी सचिव
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन
नई दिल्ली–110003

विषयः माननीय श्री छैरिंग सैमफेल, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पुलिस अभिरक्षा में पप्पू गोंड़ (आदिवासी) की मृत्यु होने की स्थलीय जांच का संक्षिप्त प्रतिवेदन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि दिनांक 08–08–2008 को माननीय सदस्य महोदय द्वारा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का दौरा किया गया तथा पप्पू गोंड़ (आदिवासी) की मृत्यु होने के कारणों पर जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक, रायसेन एवं अतिरिक्त महानिदेशक (अजाक) पुलिस से चर्चा की गई । उनके निर्देशानुसार इस मामले की स्थलीय जांच का संक्षिप्त प्रतिवेदन भेजा जा रहा है । साथ ही इस मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी, जो जिला प्रशासन द्वारा दी गई थी, उसकी प्रति भी भेजी जा रही है ।

भवदीया

(दीपिका खन्ना)
अनुसंधान अधिकारी

TSERING SAMPHEL
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India, New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

माननीय श्री छैरिंग सैमफेल, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में पुलिस अभिरक्षा में पप्पू गोंड़ (आदिवासी) की मृत्यु होने की स्थलीय जांच का प्रतिवेदन ।

दिनांक 28–07–2008 को दैनिक जागरण, भोपाल संस्करण, समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट से आयोग के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय को यह ज्ञात हुआ कि श्री पप्पू गोंड, ग्राम–सांईखेड़ा, तहसील–सिलवानी, जिला–रायसेन द्वारा पुलिस अभिरक्षा में फॉसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है । इस कार्यालय द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 28–07–2008 को ही कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक, जिला–रायसेन को फैक्स से पत्र भेजा गया कि आयोग को विस्तृत रिपोर्ट से एक सप्ताह के भीतर अवगत कराया जाए । दिनांक 05–08–2008 को पुलिस अधीक्षक, जिला–रायसेन द्वारा इस कार्यालय को रिपोर्ट भेजी गई । जिसे आयोग मुख्यालय अग्रेषित किया गया ।

दिनांक 06–08–2008 को आयोग के मुख्यालय से प्राप्त फ़ैक्स संदेश द्वारा ज्ञात हुआ कि आयोग के माननीय सदस्य श्री छैरिंग सैमफेल दिनांक 08–08–2008 को उक्त घटना की स्थलीय जांच करने के लिए भोपाल/रायसेन आ रहे हैं । माननीय सदस्य दिनांक 08–08–2008 को प्रातः भोपाल पहुँचे तथा भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायसेन जिला मुख्यालय पर कलेक्टर श्री संदीप यादव एवं पुलिस अधीक्षक श्री के.सी. जैन से भेंट की । कलेक्टर श्री संदीप यादव द्वारा उन्हें घटना की जानकारी दी गई । इस बैठक में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, जिला संयोजक (आदिवासी विकास) जिला रायसेन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अजाक), भोपाल तथा इस कार्यालय से दीपिका खन्ना अनुसंधान अधिकारी, श्री एस.सी. त्रिवेदी अवर श्रेणी लिपिक भी सम्मिलित थे । माननीय सदस्य रायसेन से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सांईखेड़ा पहुँचकर मृतक के माता–पिता एवं परिवारजनों तथा गांव के अन्य लोगों से मिले । माननीय सदस्य द्वारा उस थाने का भी मौका–मुआयना किया जिस स्थान पर मृतक द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटना होना बताया जा रहा है । ततपश्चात् माननीय सदस्य ने सायंकाल लगभग 5.00 बजे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक) श्री एम.पी.जार्ज से भी भेंट की ।

मौके पर घटना की जांच किये जाने पर प्राप्त तथ्यः–

माननीय सदस्य सांईखेड़ा पहुँचकर मृतक के पिता श्री शिवप्रसाद तथा मॉ श्रीमती बतेशी बाई एवं उसके छोटे भाई एवं बहन से मिले । मृतक के पिता, जो अपंग हैं (एक पैर आधा नहीं है) से उन्होंने पूछा कि जिस व्यक्ति ने मृतक पप्पू पर तार चोरी होने का आरोप लगाया था उसके साथ आपके संबंध कैसे है ? मृतक के पिता ने बताया कि उनसे आपसी संबंध अच्छे हैं । मृतक की मॉ ने बताया कि **श्री केशव नाम का व्यक्ति जो उसी गांव का निवासी है तथा वर्तमान में सिलवानी में होमगार्ड में पदस्थ है, से पप्पू का पुराना झगड़ा था ।** दिनांक 27–07–2008 को सायंकाल लगभग 7.00 बजे केशव ही पप्पू को अपने साथ सिलवानी थाने ले जाने के लिए आया था । घर पर उस समय माता–पिता में से कोई भी नहीं था । मॉ के घर पहुँचने पर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि पप्पू को सिलवानी थाने ले

जाया गया है तो वह तुरंत ही लगभग 9.00 बजे रात को सिलवानी पहुँची । वह अपने पुत्र के बारे में लगातार पूछती रही किन्तु थाने में उपस्थित पुलिस कर्मियों द्वारा उसे लगातार आश्वासन ही मिलता रहा कि तुम्हारा पुत्र अच्छा है । रात्रि लगभग 1.30 बजे पिता को बुलवाकर उसके सामने मृतक की लाश दी गई तब परिवारजनों को यह ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र मर चुका है । उस समय उसके मुँह से खून निकल रहा था । पुलिस कर्मियों से पूछने पर बताया कि उनके पुत्र ने थाने में स्थित पेशाब घर में जाकर आत्महत्या कर ली है । इस घटना पर माँ द्वारा रोष व्यक्त करने पर पुलिस कर्मियों द्वारा थाने में ही मृतक की माँ के साथ बदसलूकी की गई जिससे उसकी माँ के हाथ की चूड़ियाँ टूट गई । साथ ही मृतक की छोटी बहन, जो अभी 8 वीं कक्षा में पढ़ रही है का भी हाथ पकड़कर कमरे में खीचनें की कोशिश की गई । पुलिस कर्मियों द्वारा मृतक के परिवार को तुरंत ही 4000/– रूपये की राशि (आपस में जमा करके) दी गई ।

राहतः–

पुलिस विभाग की ओर से तत्कालिक सहायता के रूप में 15000/– रूपये तथा तहसील–सिलवानी के अनटाईट फंड से 5000/– रूपये की सहायता का भुगतान पीड़ित परिवार को किया जा चुका है । साथ ही इंदिरा आवास के तहत रूपये 35000/– की भी घोषणा की गई है । आयोग के माननीय सदस्य के कहने पर मृतक की बहन (जो 8वीं में पढ़ रही है) तथा मृतक का भाई, (जो 8वीं फेल है एवं उसने वर्तमान में पढ़ाई भी छोड़ रखी है) को आश्रमशाला में प्रवेश देने की अनुशंसा की जिसे सहायक आयुक्त, भोपाल ने तुरंत मानते हुए जिला संयोजक, रायसेन को आदेश दिये कि दोनों भाई बहनों को आश्रमशाला में विशेष प्रकरण बनाकर प्रवेश दिया जाए । बच्चों के आश्रमशालों में प्रवेश दिये जाने के निर्णय से पूर्व उनके माता–पिता दोनों की ही अनुमति ले ली गई ।

प्रकरण की वर्तमान स्थितिः–

माननीय सदस्य द्वारा कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक, जिला–रायसेन से ली गई बैठक में प्रकरण की अद्यतन जानकारी चाही गई । कलेक्टर, रायसेन ने बताया कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये पुलिसकर्मी थाना प्रभारी श्री मुकेश चौबे, निरीक्षक, श्री आर.डी. पटेल, सहायक उपनिरीक्षक, श्री इंदर सिंह तथा संतोष रघुवंशी, कांसटेबल को निलंबित किया गया । जिला प्रशासन द्वारा इस मामले पर स्थानीय न्यायाधीश, सिलवानी जिला रायसेन से **न्यायिक जांच** आरंभ कर दी है । इस जांच की एक सुनवाई भी हो चुकी है। इस बारे में मृतक के पिता श्री शिवप्रसाद ने भी बताया कि उन्हें मजिस्ट्रेट साहब ने बुलवाया था ।

पुलिस महानिदेशक के भोपाल में नहीं रहने के कारण अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक) ने माननीय सदस्य को प्रकरण के विषय में जानकारी दी । उन्होंने कहा कि प्रकरण पर न्यायिक जांच बैठा दी गई है । माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि यह पूरा मामला अत्यंत संदेहास्पद दिखाई दे रहा है इसलिए इस प्रकरण पर सूक्ष्म जांच की जाना आवश्यक है ताकि दोषियों को उचित दण्ड दिया जा सके । उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों पश्चात् भी आदिवासियों पर इस प्रकार का अत्याचार होना हमारे लिये शर्म की बात है । इस पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अजाक) ने आश्वासन दिया कि न्यायिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी ।

मृतक के माता–पिता द्वारा की गई मांगः–

मृतक के माता–पिता ने माननीय सदस्य से कहा कि उन्हें शासन द्वारा रूपये 5,00,000/– रूपये एवं भूमिहीन होने के कारण 5 एकड़ भूमि दी जाना चाहिए । कलेक्टर, रायसेन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता की मांग की गई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि सिलवानी में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण उन्होंने घटना स्थल पर मृतक के परिजनों को 1.50 लाख रूपये शासन की ओर से दिये जाने की घोषणा की थी जिसमें से 15000/– रूपये पुलिस विभाग तथा 5000/– रूपये सिलवानी अंनटाईट फंड से दिये गये. इस तरह कुल 20000/– रूपये का भुगतान किया जा चुका है शेष 1.30 लाख रूपये का भुगतान किया जाना शेष है । अतः शासन द्वारा इस राशि को स्वीकृत कर परिजनों तक पहुँचाना आवश्यक है ।

(दीपिका खन्ना)
अनुसंधान अधिकारी